


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 533]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 15, 2014/आश्विन 23, 1936

No. 533]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2014/ASVINA 23, 1936

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2014

सा.का.नि. 726(अ).—केंद्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा (2) की उपधारा (1) के खंड (ड) के परंतुक और खंड (छ) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अनुसरण में भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 376(अ), तारीख 4 जून, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों "धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के साथ पठित धारा 36 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के स्थान पर धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए" के स्थान पर "धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के परंतुक और खंड (छ) के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अनुसरण में" शब्द, कोष्ठक, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2014/ई (एल एल)/एस सी ए/1]

रागिनी येचुरी, कार्यकारी निदेशक (आई आर) रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पण मूल अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 376(अ), तारीख 4 जून, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October 2014

G.S.R. 726(E).—In pursuance of the proviso to clause (e), and clause (b) of the Explanation to clause (g) of sub-section (1) of Section 2 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following amendments in the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) notification number G.S.R. 376 (E), dated the 4th June 2014, namely:—

In the said notification, for the words, brackets, letters and figures, “In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 36 read with clause (e) of the sub-section (1) of Section 2”, the words, brackets, letters and figures, “In pursuance of the proviso to clause (e), and clause (b) of the Explanation to clause (g) of sub-section (1) of section 2”, shall be substituted.

[F. No. 2014/E(LL)/SCA/1]

RAGINI YECHURY, Exe. Director (IR) Railway Board

Foot Note : The principal notification was published *vide* number G.S.R. 376(E), dated the 4th June 2014.